

भारत सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 139 जिसका उत्तर
सोमवार, 30 नवंबर, 2015/9 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है

कोल्लरमपत्त न का विकास

139. श्री के. एन. बालगोपाल :

क्याल्लोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार की कोल्लेम पत्तन के विकास की कोई योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है
- (ग) क्याय सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाइजहिंजम पत्तयन के निर्माण में पत्तगन को स्रोत पत्तहन के तौर पर प्रयोग किए जाने की संभावना है और
- (घ) यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौ रा क्या है

उत्तर

पोत परिवहन राज्यतमंत्री
(श्री पोन्. राधाकृष्णन्)

(क) से (घ) : केरल राज्यब में कोल्लाम पत्तहन और विङ्गिङ्गिम पत्ततन्नौर-महापत्तन है। भारतीय पत्ततन अधिनियम 1908 की धारा-3 (9) के अनुसार गैर-महापत्ततनसंबंधित राज्यह सरकार के संपूर्ण अधिकार क्षेत्र में आते है। इसलिए , कोल्लम पत्तपन और विङ्गिङ्गिम पत्तपन के विकास का दायित्वि केरल सरकार के पास है। तथापि, वित्तम मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार , विङ्गिङ्गिम पर डिजाइन बिल्डत फाइनैस ऑपरेट और ट्रांसफर (डीबीएफओटी) के आधार पर केरल राज्यन सरकार के प्रस्ताऑव को वाइबेलिटी गैप फंडिंग के लिए वित्तम मंत्रालय ने दिनांक 3.2.2015 को सिद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया है ताकि 10 लाख टीईयू की वार्षिक रेटिड क्षमता और 3930 करोड़ रुपए की कुल योजना लागत के साथ 18,000 टीईयू कंटेनर पोतों की संभलाई की जा सके।
